



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30758

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3687/2026

भूरेलाल.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: हिमांशु शुक्ला, प्रतीक्षा राय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

संदर्भ:- सिविल प्रकीर्ण संशोधन आवेदन संख्या 2/2026

- वर्तमान संशोधन आवेदन दिनांक 02.02.2026 के आदेश को संशोधित करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- मैंने उपर्युक्त आदेश का अनुशीलन किया और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
- अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गलत आदेश प्रतिलेखित हो गया है, अतः दिनांक 02.02.2026 के आदेश को एतद्वारा वापस लिया जाता है और नया आदेश पारित किया जा रहा है जो निम्नवत है:-
- याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
- यहाँ प्रस्तुत आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
- वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, अतर्रा, जनपद बांदा को वाद संख्या 01/2020 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202507110301677) में दायर प्रत्यास्थापन आवेदन दिनांक 10.02.2025 को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
- याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि मामला प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष काफी समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, अतर्रा, जनपद बांदा को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वाद में दायर प्रत्यास्थापन आवेदन को कानून के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर निस्तारित करें, लेकिन बिना किसी अनावश्यक स्थगन के जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 11, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"